

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/133268/GZP/GHAZIPUR/1214/CFO

दिनांक: 02-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHAH FAIZ PUBLIC SCHOOL SENIOR BUILDING** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0, MIYANPUR, GHAZIPUR** तहसील - **GHAZIPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SENIOR BUILDING	4	0	14.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया **3291.40 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHAH FAIZ PUBLIC SCHOOL SENIOR BUILDING** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **04-10-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ATIA ADHAMI nadeem.adhami@gmail.com 8853671229** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-10-2024** से **04-10-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : AS PER FSSO REPORT-

- 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए।
- 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है।
- 3- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
- 5- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन, NBC/LOCAL BUILDING BY LAWS/अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 व शासनादेश संख्या- 187/छः-पू0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं पूर्व संस्तुति के आधार पर संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

BHARTENDU JOSHI

87BA5E6753A57C9B42E0D70F8848F1ADE72328F8

04-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **04-10-2024**
स्थान : **GHAZIPUR**

Note: - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/133270/GZP/GHAZIPUR/1215/CFO

दिनांक: 02-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHAH FAIZ PUBLIC SCHOOL PRIMARY BUILDNG** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NA, MIYANPUR, GHAZIPUR** तहसील - **GHAZIPUR** जिले में

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PRIMARY BUILDING	3	0	10.41 mt.

तथा प्लॉट एरिया **734.02 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHAH FAIZ PUBLIC SCHOOL PRIMARY BUILDNG** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **04-10-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ATIA ADHAMI nadeem.adhami@gmail.com 8853671229** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-10-2024** से **04-10-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : AS PER FSSO REPORT-

- 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए।
- 2- विकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है।
- 3- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
- 5- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन, NBC/LOCAL BUILDING BY LAWS/अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 व शासनादेश संख्या- 187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं पूर्व संस्तुति के आधार पर संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

BHARTENDU JOSHI

87BA5E6753A57C9B42EDD70F8848F1ADE72328F8

04-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **04-10-2024**
स्थान : **GHAZIPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

प्रारूप-डा (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/133271/GZP/GHAZIPUR/1216/CFO

दिनांक: 02-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHAH FAIZ PUBLIC SCHOOL PRE PRIMARY BUILDING** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)

पता **NA, MIYANPUR, GHAZIPUR** तहसील - **GHAZIPUR** जिले में

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PRE PRIMARY BUILDING	3	0	10.50 mt.

तथा प्लॉट एरिया **326.71 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SHAH FAIZ PUBLIC SCHOOL PRE PRIMARY BUILDING** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **04-10-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ATIA ADHAMI nadeem.adhami@gmail.com 8853671229** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-10-2024** से **04-10-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : AS PER FSSO REPORT-

- 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए।
- 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है।
- 3- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।
- 5- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन, NBC/LOCAL BUILDING BY LAWS/अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 व शासनादेश संख्या- 187/छः-पू0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं पूर्व संस्तुति के आधार पर संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

BHARTENDU JOSHI

87BA5E6753A57C9B42EDD70F8848F1ADE72328F8

04-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **04-10-2024**
स्थान : **GHAZIPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.